कार्यालय जनपद न्यायाधीश (नजारत अनुभाग),
जनपद न्यायालय, हाथरस।

नीलामी सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि जनपद न्यायालय, हाथरस के परिवार न्यायालय परिसर में स्थित 01 नीम का सूखा खड़ा वृक्ष (अयोग्य) जिसकी गोलाई 149 से०मी० है, को प्रभागीय वनाधिकारी, हाथरस वन विभाग, हाथरस द्वारा प्रेषित आख्यानुसार नीलामी की कार्यवाही को पूर्ण किया जाना है, जिस हेतु **दिनॉक 05.09.2024 दिन बृहस्पतिवार समय सायं ~~4:00~~ 4:30 बजे** नियत की गयी है।

इच्छुक व्यक्ति नीलामी में भाग लेने हेतु समय से केन्द्रीय नजारत, जनपद न्यायालय, हाथरस में उपस्थित होकर जमानत धनराशि जमा किया जाना सुनिश्चित करें। नीलामी से सम्बन्धित नियम एवं शर्तें या अन्य किसी प्रकार की जानकारी हेतु माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद की आधिकारिक वेबसाईट **http://www.allahabadhighcourt.in**, एन०आई०सी०, हाथरस की आधिकारिक वेबसाईट **http://www.hathras.nic.in**, जनपद न्यायालय, हाथरस की आधिकारिक वेबसाईट **https://districts.ecourts.gov.in/hathras** एवं केन्द्रीय नजारत, हाथरस से कार्यालय समय में प्राप्त की जा सकती है।

दिनॉक: 22.08.2024

(महेन्द्र श्रीवास्तव)
अध्यक्ष, नीलामी समिति/
अपर जनपद न्यायाधीश, कोर्ट सं०–01,
हाथरस।

आदेश

अवलोकित। अनुमोदित

जनपद न्यायाधीश,
हाथरस।
22.08.2024

कार्यालय जनपद न्यायाधीश (नजारत अनुभाग),
जनपद न्यायालय, हाथरस।

इश्तहार नीलामी

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि जनपद न्यायालय, हाथरस के परिवार न्यायालय परिसर में स्थित 01 नीम का सूखा खड़ा वृक्ष (अयोग्य) जिसकी गोलाई 149 से०मी० है, को प्रभागीय वनाधिकारी, हाथरस वन विभाग, हाथरस द्वारा प्रेषित आख्यानुसार नीलामी की कार्यवाही को पूर्ण किया जाना है, जिस हेतु **दिनाँक 05.09.2024 दिन बृहस्पतिवार समय सायं 4:30 बजे** नियत की गयी है। इच्छुक व्यक्ति समय से नीलामी की बोली बोलने हेतु जनपद न्यायालय परिसर, हाथरस में उपस्थित हों। माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद की आधिकारिक वेबसाईट **http://www.allahabadhighcourt.in,** एनआईसी, हाथरस की आधिकारिक वेबसाईट **http://www.hathras.nic.in,** जनपद न्यायालय, हाथरस की आधिकारिक वेबसाईट **https://districts.ecourts.gov.in/hathras** एवं केन्द्रीय नजारत, हाथरस से कार्यालय समय में प्राप्त की जा सकती है।

नीलामी की आवश्यक शर्तें :–

01. सभी ठेकेदार/बोलीदाता को नीलामी से 02 घण्टे पूर्व केन्द्रीय नजारत, हाथरस में जमानत धनराशि रू० 2,000/–(दो हजार) जमा करना होगा। अन्यथा ठेकेदार/बोलीदाता को नीलामी की कार्यवाही में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान नही की जायेगी। नीलामी की समाप्ति पर यदि ठेकेदार/बोलीदाता के नाम ठेका नहीं छूटता है, तो जमानत धनराशि ठेकेदार/बोलीदाता को वापस कर दी जायेगी।
02. जिस व्यक्ति के हक में नीलामी स्वीकृत की जायेगी। उसको नीलामी की समस्त धनराशि तत्काल जमा करना होगा। यदि वह समस्त धनराशि जमा नहीं करता है तो उसकी जमानत धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
03. प्रकाष्ठ की निकासी से पूर्व कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, हाथरस वन विभाग, हाथरस मे कटान शुल्क, हैमर रजिस्ट्रेशन शुल्क एवं अभिवहन शुल्क नियमानुसार सम्बन्धित व्यक्ति (जिसके पक्ष मे नीलामी स्वीकृत की जायेगी) को जमा करना होगा। यह धनराशि नीलामी धनराशि के अतिरिक्त होगी।
04. वृक्ष की नीलामी की धनराशि जनपद न्यायालय, हाथरस में तथा कार्यालय, प्रभागीय वनाधिकारी, हाथरस वन विभाग, हाथरस द्वारा नियमानुसार निर्धारित कटान शुल्क, हैमर रजिस्ट्रेशन शुल्क एवं अभिवहन शुल्क को राजकीय कोष में जमा करने के उपरान्त ही वृक्ष को ले जाने की अनुमति प्राप्त होगी।
05. अधिकतम बोली बोलने वाले व्यक्ति के पक्ष मे सूखे वृक्ष को नीलाम किया जायेगा।
06. सूखे वृक्ष की नीलामी की स्वीकृति का पूर्ण अधिकार माननीय जनपद न्यायाधीश का होगा।
07. प्रत्येक ठेकेदार को अपना आधार कार्ड/पहचान पत्र की प्रति दाखिल करना अनिवार्य होगा तथा नीलामी के समय मूल दस्तावेज लेकर आना आवश्यक है।

(महेन्द्र श्रीवास्तव)
अध्यक्ष, नीलामी समिति/
अपर जनपद न्यायाधीश, कोर्ट सं०–01,
हाथरस।

प्रतिलिपि–

1. जिला जज, हाथरस के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
2. मुंसिफी हाथरस के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
3. नगर पालिका, हाथरस के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
4. कलैक्ट्रेट के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
5. मुनादी कराये जाने हेतु।
6. तहसील हाथरस के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
7. समाचार पत्र में निःशुल्क प्रकाशन हेतु।

अध्यक्ष, नीलामी समिति/
अपर जनपद न्यायाधीश, कोर्ट सं०–01,
हाथरस।